



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1579]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2013/आषाढ़ 17, 1935

No. 1579]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2013/ASHADHA 17, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2013

का.आ. 2071(अ)—केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 क 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) और व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 40) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 8 जुलाई, 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 8/29/2009-आई.पी.आर-IV(खण्ड)]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2013

S.O. 2071(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) and the Trade Marks (Amendment) Act, 2010 (40 of 2010), the Central Government hereby appoints the 8th day of July, 2013 as the date on which all the provisions of the Trade Marks (Amendment) Rules, 2013 shall come into force.

[F. No. 8/29/2009-IPR-IV (Part)]

D. V. PRASAD, Jt. Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2013

का.आ. 2072(अ)—केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 40) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 8 जुलाई, 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 8/29/2009- आई.पी.आर-IV (खण्ड)]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव,

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2013

S.O. 2072(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Trade Marks (Amendment) Act, 2010 (40 of 2010), the Central Government hereby appoints the 8th day of July, 2013 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No 8/29/2009-IPR-IV (Part)]

D. V. PRASAD, Jt Secy.